भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 193/4/IV/2015(प्रशिक्षु) दिनांक 01.09.2015

विषय: भारत निर्वाचक आयोग में प्रशिक्षुता (इंटर्नशीप) योजना।

भारत निर्वाचन आयोग एक शीर्षस्थ संवैधानिक निकाय है जिसे संसद एवं राज्य विधान सभाओं सहित राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय निर्वाचन आयोजित करने का अधिदेश सौंपा गया है। समय-समय पर भारत के अद्वितीय निर्वाचन प्रबंधन ने आयोग को विश्व के सर्वाधिक सम्मानित निर्वाचन प्रबंधन निकायों में से एक बनाया है।

भारत निर्वाचन आयोग को मुख्य रूप से विधि एवं राजनीति-विज्ञान विषय के छात्रों से छात्र प्रशिक्षु के रूप में शामिल किए जाने के संबंध में आवेदन प्राप्त होते रहे हैं। प्रशिक्षु के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करना न केवल प्रतिष्ठापूर्ण बल्कि विभिन्न विषयों के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अपनी व्यावसायिक और कैरियर के विकास की संभावनाओं को और निखारने का एक चुनौतीपूर्ण अवसर भी है।

भारत निर्वाचन आयोग प्रशिक्षुता योजना की परिकल्पना एक ऐसे मंच के रूप में की गई है जहां शिक्षा से जुड़े विविध विषयों और विषय विशेषज्ञता की पृष्ठभूमि वाले प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र अपने कौशल और अपनी योग्यता को निखार सकते हैं।

<u>योजना</u>

प्रारंभ में, निम्नलिखित विषयों के अंतर्गत 'प्रशिक्षु' के रूप में भारत निर्वाचन आयोग के साथ "पात्र व्यक्तियों" की अल्पकालिक संलग्नता (अटैचमेंट) की अनुमति प्रदान करना:

i. निर्वाचन संबंधी विधि
ii. सूचना प्रौद्योगिकी
iii. मीडिया एवं दूरसंचार
iv. निर्वाचन प्रबंधन

<u>पात्रता संबंधी मानदंड:</u>

निम्नलिखित व्यक्ति योजना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे:

- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा या शोध छात्र के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा होना चाहिए।
- आवेदक को अंग्रेजी और/या हिन्दी बोलने और लिखने में प्रवीणता प्राप्त होनी चाहिए। अन्य भाषाओं का ज्ञान अतिरिक्त योग्यता होगी।

<u>प्रशिक्षुता की अवधि</u>

प्रशिक्षुता की अवधि 2 माह या आयोग द्वारा यथा निर्णीत अवधि तक की होगी।

<u>कार्य</u>

चयनित अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग के विभिन्न प्रभागों में से किसी एक प्रभाग के साथ अटैच किया जाएगा। छात्रों को निर्वाचन प्रबंधन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान या प्रबंधन उन्मुखी परियोजनाएं/कार्य सौंपे जाएंगे।

प्रशिक्षु सौंपे गए व्यावसायिक कार्यों के निर्वहन द्वारा संबंधित प्रभागों की सहायता करेंगे। इस प्रक्रिया से वे विशिष्ट निर्वाचन प्रबंधन ढांचे और इसकी कार्य प्रणाली से परिचित होंगे। प्रशिक्षुता अवधि के समापन के साथ छात्रों द्वारा सौंपे गए कार्य के विषय में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा।

यह प्रशिक्षुता, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में चलाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग में प्रशिक्षु, संबंधित प्रभागों के निदेशक/सचिव के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वे मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चयनित पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

चयन प्रक्रिया

- () भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना प्रभाग प्रशिक्षुओं की आवश्यकता के आधार पर मान्यता प्राप्त संस्थानों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
- () प्रशिक्षुता के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी उस संस्थान द्वारा प्रायोजित होंगे जहां वे पढ़ रहे होंगे।
- () अभ्यर्थियों का चयन समग्र शैक्षणिक इतिहास, पाठ्येत्तर उपलब्धियां तथा वरिष्ठ अधिकारियों वाली जांच समिति को प्रस्तुत प्रशिक्षुता प्रेरण नोट के आधार पर किया जाएगा। जांच समिति की संस्तुति आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।
- () केवल चयनित छात्रों को ई-मेल/फोन कॉल के जरिए सूचित किया जाएगा। संस्थान के प्रमुख को भी सूचना दी जाएगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- पहचान संबंधी साक्ष्य
- विश्वविद्यालय/कॉलेज में नामांकन का साक्ष्य
- पूरे किए सत्रों की अंक-तालिका
- जीवनवृत्त
- संस्थान के प्रभुत्व का अग्रेषण पत्र।

संभारिकी एवं सहायता

प्रशिक्षुओं के पास अपना लैपटॉप होना चाहिए। विभाग उन्हें कार्य करने की जगह, इंटरनेट कनेक्टिविटी और विंग प्रमुख द्वारा उचित समझी गई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

पारिश्रमिक

आयोग वाहन भत्ता और प्रशिक्षुओं की अन्य रोजमर्रा की आवश्यकताओं को वहन करने के लिए **10,000**/- रु. के मासिक वजीफे का भुगतान करेगा।

निबंधन एवं शर्तें

1. प्रशिक्षुता की अवधि **2** माह या आयोग द्वारा यथा निर्णीत अवधि तक की होगी।
2. प्रशिक्षुता एक पूर्णकालिक कार्य है और प्रशिक्षुओं को आयोग के कार्य-समय अर्थात् पूर्वाह्न **9.00** बजे से लेकर सायं **5.30** बजे तक कार्य करना होगा।
3. प्रशिक्षु अपनी प्रशिक्षुता पूर्ण हो जाने पर आयोग के कर्मचारी के रूप में आमेलन (एब्सार्बड) के लिए पात्र नहीं होंगे। यह एक रोजगार नहीं और न ही यह भविष्य में रोजगार देने का वचन है।
4. प्रशिक्षु आयोग के सभी लागू नियमों, विनियमों, अनुदेशों, प्रक्रियाओं और अनुदेशों का पालन करेंगे तथा राजनैतिक निष्पक्षता बनाए रखेंगे।
5. प्रशिक्षु पूर्ण गोपनीयता और सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे तथा किसी भी प्रकार से अनुभूत कोई भी सूचना/रिकार्ड/फाइल/डाटा आदि की कॉपी/ई-मेल/आयोग से बाहर नहीं ले जाएंगे।
6. प्रशिक्षु अनन्य रूप से भारत निर्वाचन आयोग के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा किसी भी प्राधिकरण/बाह्य एजेंसी से अनुदेश न तो मांगेंगे न ही स्वीकार करेंगे।

7. प्रशिक्षु ऐसी किसी भी कार्रवाई और विशेषकर किसी भी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा करने से बचेंगे जिससे संबंधों या भारत निर्वाचन आयोग में यथा अपेक्षित सत्यनिष्ठता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता या संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
8. प्रशिक्षु ऐसे किसी भी आचरण से बचेंगे जिससे भारत निर्वाचन आयोग या उसकी सत्यनिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तथा ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जो भारत निर्वाचन आयोग के लक्ष्यों और प्रतिष्ठा के विपरीत हो।
9. भारत निर्वाचन आयोग, कार्यालय संबंधी सुविधाओं तथा सौंपे गए कार्य से संबंधित आने-जाने की आवश्यकता पड़ने पर परिवहन की सुविधा छोड़कर प्रशिक्षुओं को आवास, यात्रा, चिकित्सा बीमा या अन्य कोई भत्ता उपलब्ध नहीं कराता है।
10. आयोग के पास बिना कोई कारण बताए प्रशिक्षुता के लिए किसी आवेदन को अस्वीकार या चल रही प्रशिक्षुता को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

ह०/-
(स्टेंडहोप यूहलंग**)**
प्रधान सचिव **(**प्रशा**.)**

प्रशिक्षुता के लिए आवेदन का प्रपत्र

नाम :
पत्राचार के लिए पता :
(संपर्क नंबर सहित)
ई-मेल पता :
जन्म-तिथि :
राष्ट्रीयता :
शैक्षणिक अर्हता :
(दसवीं से आरंभ करते हुए**)**

क्र. सं.	**बोर्ड/विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम**	**उत्तीर्ण परीक्षा**	**उत्तीर्णता का वर्ष**	**प्राप्त श्रेणी प्रतिशत सहित**	**विषय**

पाठ्यक्रम, जिसकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विश्वविद्यालय/संस्थान और उसकी अवधि :
(वर्तमान संस्थान के प्रमुख से पत्र, जिसमें उनके दर्जे का उल्लेख किया गया हो, संलग्न करें**)**

आवेदन की गई प्रशिक्षुता की अवधि :
(केवल **2** माह**)**

रूचि वाला विषय, जिसमें प्रशिक्षुता अपेक्षित है; अधिकतम 200 शब्दों में प्रस्तावित परियोजना की प्रारंभिक रूपरेखा बताएं। :

आप चयनित क्षेत्र में इस प्रशिक्षुता से क्यों जुड़ना चाहते हैं :
(संक्षेप में **50** शब्दों से अधिक नहीं**)**

प्रोफेसर/गाइड/नियोक्ता/समकक्ष व्यक्तियों से दो संस्तुतियां :
(प्रत्येक **500** शब्दों से अधिक नहीं**)**

वचन पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्रीश्री ..... आयु..... निवासी..... एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना और संलग्न दस्तावेज मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और मत के अनुसार सत्य हैं और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। मैं इस तथ्य से भली-भांति अवगत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी/सत्य नहीं पाई जाती है तो मैं विधि के अनुसार दंड का भागी बनूंगा/बनूंगी। इसके साथ ही मेरे द्वारा लिए जा रहे सभी प्रकार के लाभ वापस ले लिए जाएंगे।

तारीख:
(हस्ताक्षर)

टिप्पणी: आवेदन केवल उपर्युक्त प्रपत्र में टंकण द्वारा भरा जाना चाहिए; कोई अन्य प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा। हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।